संख्या-1/2017-01/चौदह-4-2017-116/2015

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक, 03 जनवरी, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में ''मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना'' योजनान्तर्गत नई मॉगों के माध्यम से आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष रू0 59.54 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-722/36-टी-77 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास विकास परिषद द्वारा तैयार किये गये एवं आपके उपर्युक्त पत्र दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये संशोधित डी0पी0आर0 रू0 119.08 लाख पर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर उक्त डी0पी0आर0 पर अनुमोदन निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

(1) पौधों की दर सामाजिक वानिकी की दरों के अनुसार निर्धारित की जाया विशिष्ट प्रकार के पौधों का क्रय निर्धारित वित्तीय/क्रय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। तद्नुसार इस मद में बचत की धनराशि का व्यय संरक्षण केन्द्र में साईनेजेज तथा वृक्षारोपण के अनुरक्षण के लिये प्रयोग किया जायेगा।

(2) बाउण्ड्रीवाल के आंगणन में प्रयुक्त दरों का लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल आफ रेटस के आधार पर परीक्षण एवं अनुमोदन करने हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें मुख्य वन संरक्षक, इको डेवलपमेंअ, वन संरक्षक, आगरा एवं लोक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता स्तर से अनिम्न अधिकारी सदस्य रहेंगे।

2- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत ''मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना'' योजनान्तर्गत नई मॉगों के माध्यम से आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष रू0 59.54 लाख (रू0 उन्सठ लाख चौवन हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित

http://shasanadesh.up.nic.in

लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत व्यय हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक	धनराशि (रू0 में)
अनुदान संख्या-60	
पूँजीलेखा	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110-वन्य जीव	
13- ''मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना''	
24-वृहत निर्माण कार्य	5954000
योग-	5954000

(रू0 उन्सठ लाख चौवन हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नहीं देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित

हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए01132/दस-2004-मित-1/2004 दिनांक7.1.2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए01191/दस-2009-मित-1/2007 दिनांक 26.10.2009 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- अनुदान/भारित विनियोग के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग की कार्य के प्रकृति एवं अवसर के अनुसार विचार करते हुए जहॉ तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये प्रतिमाह समान रूप से की जाय और स्वीकृतियॉ/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नहीं किया जाये। विभागाध्यक्ष एवं अनय नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय तथा ऐसे मामले में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय।

http://finsanadesh.up.nic.in

3- योजनानतर्गत सम्मिलित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा तथा योजनान्तर्गत प्रस्तावित भौतिक लक्ष्यों को कम नहीं किया जायेगा एवं वित्तीय लक्ष्य बढ़ाये नहीं जायेंगे।

4- योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस संबंध में शासन के तत्संबंधी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारिणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

6- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

7- इसके अतिरिक्त योजना के क्रियान्वयन के समय शासन द्वारा निर्गत सभी सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि का प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारीअपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, के पत्र 722/36-टी-77 दिनांक दिसम्बर, 2016 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव के पत्र सं0-1672/7-4(मयूर/मथुरा) दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित कार्यमदों में ही व्यय किया जायेगा।

9- पौधों की दर सामाजिक वानिकी की दरों के अनुसार निर्धारित की जाया विशिष्ट प्रकार के पौधों का क्रय निर्धारित वित्तीय/क्रय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा। तद्नुसार इस मद में बचत की धनराशि का व्यय संरक्षण केन्द्र में साईनेजेज तथा वृक्षारोपण के अनुरक्षण के लिये प्रयोग किया जायेगा।

10- बाउण्ड्रीवाल के आंगणन में प्रयुक्त दरों का लोक निर्माण विभाग के शिड्यूल आफ रेटस के आधार पर परीक्षण एवं अनुमोदन करने हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें मुख्य वन संरक्षक, इको डेवलपमेंअ, वन संरक्षक, आगरा एवं लोक निर्माण विभाग के स्थानीय अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता स्तर से अनिम्न अधिकारी सदस्य रहेंगे।

11- स्वीकृत धनराशि के व्यय का अधिकार तभी होगा जब निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ता, यथास्थिति नियंत्रक अधिकारी, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित कर सक्षम स्तर को प्रेषित कर दिये गये हों।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-11-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबंधों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-01(1)/चौदह-4-2017 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/,दिवतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार दिवतीय उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र, लखनऊ।
4- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
8- नियोजन अनुभाग-3
9- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in